Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ बांसवाड़ा में तहसील कार्यालय के वरिष्ठ सहायक सहित दो दलाल 4,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. इकाई बांसवाड़ा द्वारा आज ट्रैप कार्यवाही करते हुए **योगेन्द्र सिंह भाटी, वरिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा** तथा उसके लिए रिश्वत राशि प्राप्त करने वाले **रतनसिंह एवं विठ्ठल, दोनों निजी व्यक्ति (दलाल)** को **4,000/- रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ए.सी.बी. बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वह एक फाइनेंस कम्पनी में कार्यरत है, जिसके माध्यम से गृह ऋण प्रदान किया जाता है। गृह ऋण स्वीकृत करने से पूर्व आवेदकों की रजिस्ट्री को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्टर्ड मॉर्टगेज करवाया जाना आवश्यक होता है। परिवादी के अनुसार तहसील कार्यालय बागीदौरा के वरिष्ठ सहायक योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा दो रजिस्ट्री पत्रावलियों को रजिस्टर्ड मॉर्टगेज करवाकर पत्रावलियां उपलब्ध करवाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी।

शिकायत के क्रम में रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा दोनों पत्रावलियों के रजिस्टर्ड मॉर्टगेज की एवज में प्रति पत्रावली 2,500/- रुपये के हिसाब से कुल 5,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई। वार्ता के दौरान दोनों पत्रावलियों पर 500-500 रुपये कम करने के पश्चात कुल 4,000/- रुपये रिश्वत राशि लेने पर सहमति व्यक्त की गई।

मांग की पुष्टि के उपरांत ए.सी.बी. के **उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरवीजन में **श्री रतन सिंह राजपुरोहित, उप अधीक्षक पुलिस**, ए.सी.बी. बांसवाड़ा के नेतृत्व में आज ट्रैप कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा परिवादी से 4,000/- रुपये रिश्वत राशि अपने परिचित रतनसिंह (दलाल) को दिलवाकर विठ्ठल (दलाल) को देने के लिए कहा गया। रतनसिंह द्वारा उक्त रिश्वत राशि विठ्ठल को दिए जाने पर ए.सी.बी. टीम द्वारा रिश्वत राशि बरामद कर योगेन्द्र सिंह भाटी, रतनसिंह एवं विठ्ठल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

आरोपीगण से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। आरोपी योगेन्द्र सिंह भाटी, वरिष्ठ सहायक, तहसील कार्यालय बागीदौरा के निवास की भी तलाशी ली जा रही है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135-02834** पर **24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।